समाचार वाणी
खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

‘पुलिस दीदी’ और ‘नया सवेरा 3.0’ अभियान के तहत मानव व्यापार के खिलाफ जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को किया गया सतर्क

RANJEET KUMAR

Published on 29 Jul 2026

[illegible] [illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible] [illegible] [illegible]

मानव व्यापार जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जहानाबाद पुलिस द्वारा मंगलवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक **कोटा किरण कुमार** के निर्देश पर पंडुई में “**पुलिस दीदी**” एवं “**नया सवेरा 3.0**” अभियान के तहत छात्र-छात्राओं के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में **साइबर डीएसपी अमित कुमार** और **महिला थाना प्रभारी अनामिका कुमारी** ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और उपस्थित लोगों को मानव व्यापार के बढ़ते खतरों तथा उससे बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अपराधी अक्सर नौकरी दिलाने, विदेश भेजने, बेहतर भविष्य का सपना दिखाने या शादी का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें मानव व्यापार का शिकार बनाते हैं।

पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी बच्चे के अचानक लापता होने या किसी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों को ले जाने की जानकारी मिले, तो बिना देर किए पुलिस को सूचित करें।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मानव व्यापार जैसी घटनाओं को रोकने में आम नागरिकों की जागरूकता और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय पर दी गई सूचना कई लोगों की जान बचा सकती है और अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की मदद करती है।

कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं से सतर्क रहने, सुरक्षित रहने और समाज में मानव व्यापार के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया। पुलिस ने संदेश दिया कि “**आपकी जागरूकता और समय पर दी गई सूचना ही मानव व्यापार**

को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है।"

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.